51 30/00

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

156422

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 NOV 2008

इलाहाबाद DSFT

पट्टागत नजूल भूमि के फ्री–होल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्री–होल्ड के प्रमाण–पत्र का यह विलेख सन् 2008 ई0 के नवम्बर माह के 12.....वें दिन, तदनुसार शक सम्वत् के 2065.... कार्तिक....मास के 14...वें दिन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, (जिनको आगे चलकर "विक्रेता" कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा (1) इन्देश कुमार अग्रवाल (2) नरेश अग्रवाल (3) दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्रगण स्व0 श्रीनिवास अग्रवाल, निवासीगण 22, सरोजनी नायडू मार्ग, परगना व तहसील–सदर, जिला–इलाहाबाद (4) राजेश अग्रवाल पुत्र स्व0 श्रीनिवास अग्रवाल, निवासी 15, थार्नहिल रोड, इलाहाबाद द्वारा मुख्तारआम श्री दिनेश कुमार

विक्रेता

क्रेतागण के हस्ताक्षर

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

for self and power of attorney of Rajesh Agarwal

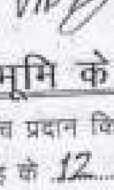

(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)

01/11/08

01/11/08

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 156421

-1 NOV 2008

इलाहाबाद DSFT

अग्रवाल पुत्र स्व0 श्रीनिवास अग्रवाल, (जिनको यहाँ आगे चलकर ''क्रेतागण'' कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

चूँकि उ0प्र0 के राज्यपाल एवम् बाबू राम प्रसाद कक्कड़ के मध्य निष्पादित नवीनीकृत पट्टा विलेख दिनांक 02 जुलाई 1939 जो सब रजिस्ट्रार चायल, इलाहाबाद के कार्यालय में पंजीकृत है (जिसे आगे पट्टा विलेख कहा गया जिसमें राज्यपाल को "पट्टादाता" एवम् बाबू राम प्रसाद अग्रवाल को "पट्टेदार" कहा गया है।)

यह कि नजूल भूखण्ड संख्या 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद क्षेत्रफल 6150.35 वर्गमीटर सैटेलमेन्ट नं0 ई. पोर्शन–ए, नसीबपुर बख्तियारा, इलाहाबाद का नवीनीकृत पट्टा श्री बाबू राम प्रसाद कक्कड़ के पक्ष में दिनांक 02.07.1939 को निष्पादित किया हुआ, जो दिनांक 15.04.1937 से 50 वर्षों के लिए प्रभावी हुआ। उक्त बाबू राम प्रसाद कक्कड़ ने 5.25 एकड़ भूमि को महंत पंचायती अखाड़ा को स्थानान्तरित कर दिया जिन्होंने जरिये डीड ऑफ ट्रान्सफर दिनांक 02.07.1946 को उक्त भूमि को द्वारिका प्रसाद जौहरी के हक में स्थानान्तरित कर दिया।

हो कि बाद श्री द्वारिका प्रसाद जौहरी के निवेदन पर जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने उक्त प्लाट को बेचने व विभाजन करने की अनुमति (सशर्त 50% लेजरेंट में बढ़ोत्तरी के साथ) अपने

विक्रेता

क्रेतागण के हस्ताक्षर

R.K.Agarwal
for self and attorney
of Rajesh Agarwal

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

विक्रय पत्र

1,516,549.00/

5,000.00	20	5,020.00	800
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

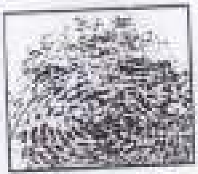

प्रतिफल बालियत

श्री /श्रीमती इन्द्रेश कुमार

पुत्र / पत्नी श्री स्व श्री नि... अग्रवाल

पेशा

निवासी स्थायी 22 सरोजनी ... मार्ग इलाहाबाद

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में 17/11/2008 समय 2:58PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

(बी0के0 शाही)

उप निबन्धक (प्रथम)

इलाहाबाद

17/11/2008

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने ... संपूर्ण व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने ... इस लेखपत्र का निष्पादन श्री सुगम चन्द्र उत्तम, अपर ... कारी नजूल इलाहाबाद ने अपने पद के अधिकार से ... इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरी की आवश्य... है, और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीका... गया।

क्रेता

श्री/श्रीमती इन्द्रेश कुमार अग्रवाल

पुत्र/पत्नी श्री स्व श्री निवास अग्रवाल

पेशा

निवासी 22 सरोजनी नायडू मार्ग इलाहाबाद

श्री/श्रीमती नरेश अग्रवाल

पुत्र/पत्नी श्री श्री निवास अग्रवाल

पेशा

निवासी 22 सरोजनी नायडू मार्ग इलाहाबाद

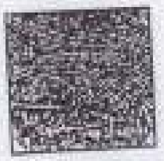

श्री/श्रीमती दिनेश कुमार अग्रवाल स्वयं व मुआम राजेश अग्रवाल

पुत्र/पत्नी श्री स्व श्री निवास अग्रवाल

पेशा

निवासी 22 सरोजनी नायडू मार्ग इलाहाबाद

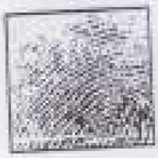

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 156420

-1 NOV 2008

इलाहाबाद DSPT

{3}

पत्र संख्या 2313/NC/XXV-2/6-50-51 दिनांक 02.06.1953 द्वारा प्रदान की और बाद में श्री द्वारिका प्रसाद जौहरी आदि ने जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा इजाजत पत्र संख्या 311/NC/XXV/56-57 दिनांक 03.01.1957 के द्वारा 6150.35 वर्गमीटर को श्रीनिवास अग्रवाल पुत्र श्री हरीकृष्ण प्रसाद अग्रवाल, निवासी 269, कर्नलगंज, इलाहाबाद के पक्ष में दिनांक 24.10.1957 को स्थानान्तरित कर दिया।

चूंकि क्रेतागण के पिता स्व0 श्री निवास अग्रवाल ने उक्त भूमि 6150.35 वर्गमीटर भूमि को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 24.01.1957 को श्री द्वारिका प्रसाद जौहरी आदि से क्रय किया जिसकी रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिल्द 1048 के पन्ना 177 / 185 क्रम संख्या 66 दिनांक 02.02.1957 को हुई है। बाद बयनामा श्री निवास अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 04.01.1968 को हो गयी और उन्होने अपनी मृत्यु के बाद अपने वारिसान में अपनी पत्नी श्रीमती सूरज मुखी अग्रवाल व चार पुत्र इन्देश कुमार अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल व दिनेश कुमार अग्रवाल व पुत्री श्रीमती मंजू खेतान को छोड़ा। इसके अलावा उनके अन्य वारिसान नहीं रहे। बतौर वारिस स्व0 श्रीनिवास, उनकी पत्नी श्रीमती सूरज मुखी अग्रवाल व चार पुत्रों इन्द्रेश कुमार अग्रवाल व नरेश अग्रवाल व राजेश अग्रवाल व दिनेश कुमार अग्रवाल ने उक्त भूमि को

विक्रेता

क्रेतागण के हस्ताक्षर

D.K.Agarwal
for self and attorney
of Rajesh Agarwal

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

01/11/08

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री एस के   ी

पुत्र श्री के एस चतुर्वेदी

पेशा वकालत

निवासी सिविल कोर्ट इलाहा॰

व श्री एस एल अग्रवाल

पुत्र श्री स्व बंशी लाल

पेशा वकालत

निवासी सिविल कोर्ट इलाहा॰

ने की ।

पश्चात: पत्र साक्षियों के निशान   ः नियमानुसार लिये गये हैं ।

(बी0के0 शाही)
उप निबन्धक (प्रथम)
इलाहाबाद
17/11/2008

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 156419

-1 NOV 2008

इलाहाबाद DSPT

फ्रीहोल्ड कराने हेतु आवेदन किया। दौरान कार्यवाही श्रीमती सूरजमुखी अग्रवाल का स्वर्गवास दिनांक 07.09.2000 को हो गया तथा उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक मात्र पुत्री श्रीमती मंजु खेतान ने दिनांक 03.10.2007 को अपनी सहमति इस बात के लिए दे दिया कि उक्त भूखण्ड को उनके चारो भाईयो के नाम फ्रीहोल्ड कर दिया जाये उसमें उन्हें कोई आपत्ति नही है और इसी आधार पर क्रेतागण/द्वितीयपक्ष उक्त भूखण्ड को फ्रीहोल्ड कराने हेतु आवेदक है और पट्टागत भूमि का पट्टेदार है।

और चूंकि क्रेतागण ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड जिसका कि वह पट्टेदार हैं, प्रदेश के नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या 1562/9आ-4-92-293एन/90, दिनांक 23.5.1992 शासनादेश संख्या 3632/9-आ-4-92-293एन/90, दिनांक 02.12.1992, शासनादेश संख्या 2093/9-आ-4-94-293एन/90, दिनांक 03.10.94, शासनादेश संख्या 3062/9-आ-4-95-628एन/95, दिनांक 01.01.1996, शासनादेश संख्या 82/9-आ-4-96-629एन/95, दिनांक 17.02.96, शासनादेश संख्या-1300/9- आ-4-96-629एन/95, (टी०सी०), दिनांक 29.08.96, शासनादेश संख्या 2029/9-आ-4-97-260एन/97, दिनांक 26.09.97, शासनादेश संख्या 667/9

विक्रेता

क्रेतागण के हस्ताक्षर

R.K. Agarwal
for self and attorney of Rajesh Agarwal

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

01/11/08

विक्रेता 01/11/08

Registration No   Year : 2008   Book No. 1

0101 सुभाष चन्द्र उपाध्याय, अपर ... धिकारी नगर इलाहाबाद

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 156418

- 1 NOV 2008

(5)

—आ—4—98—691—97, (टी0सी0), दिनांक 23.4.1998, शासनादेश संख्या 2268 /9—आ—4—98—704एन/97, दिनांक 01.12.98 एवं शासनादेश संख्या 1592/9 —आ—4—99—691एन/97, (टी0सी0) दिनांक 20.05.1999 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्री—होल्ड लैण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेतागण को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, जनपद इलाहाबाद को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना—पत्र दिया है।

और चूंकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार तथा शासनादेश संख्या—2268/9—आ—4—98 —704एन/97, दिनांक 01 दिसम्बर 1998 के अनुसार स्वमूल्यांकन की धनराशि रूपये 4,62,000/— (शब्दों में रूपये चार लाख बासठ हजार मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या—बी0डी0—2 दिनांक 30.01.1999 द्वारा तथा दिनांक 10.10.2008 को निर्गत मॉग पत्र संख्या—317/नजूल (DNC)XX-I—8/1473 की (फ्री—होल्ड) 1998—99 की धनराशि रूपये 1054,548=49 (शब्दों में रूपये दस लाख चौवन हजार पॉच सौ अड़तालिस पैसे उन्चास मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या—6 दिनांक 15.10.2008 द्वारा, इस प्रकार सम्पूर्ण आंकलित निर्धारित मूल्य रूपया 15,16,548=49 (शब्दो में रूपये पन्द्रह लाख सोलह हजार पॉच सौ अड़तालिस पैसे उन्चास मात्र) क्रेता से प्राप्त करके जिलाधिकारी,

विक्रेता

क्रेतागण के हस्ताक्षर

D.K. Agarwal
for self and attorney of Rajesh Agarwal

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

...इलाहाबाद

दि. 01/11/08 ... फीस रुपया 1

क्रेता

Registration No. Year : 2008 Book No. 1

0201 इन्द्रेश कुमार अग्रवाल
स्व श्री निवास अग्रवाल
22 सरोजनी नायडू मार्ग इ... ाद

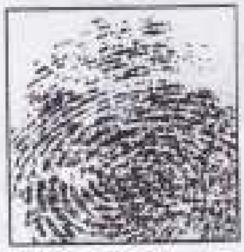

0202 नरेश अग्रवाल
श्री निवास अग्रवाल
22 सरोजनी नायडू मार्ग इ... ाद

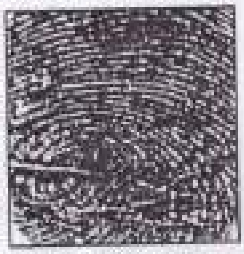

0203 शिवेश कुमार अग्रवाल स्व... मुआम राजेश अग्रवाल
स्व श्री निवास अग्रवाल
22 सरोजनी नायडू मार्ग इ... ाद

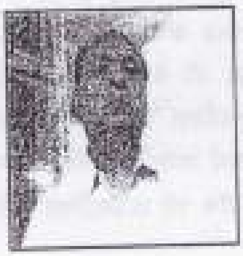

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL

15000 रु. Rs.15000

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

156417

-1 NOV 2008

इलाहाबाद DSFT

जनपद–इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्री–होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर ''क्रेतागण'' को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा सहमत है।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स ऐक्ट (सन् 1895 ई० का ऐक्ट संख्या–15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेतागण के पक्ष में फ्री–होल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु ''क्रेतागण'' द्वारा ''विक्रेता'' को कुल धनराशि रूपये 15,16,548=49/–(शब्दो में रूपये पन्द्रह लाख सोलह हजार पाँच सौ अड़तालिस पैसे उन्चास मात्र) जनपद–इलाहाबाद स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है), के प्रति फलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका क्रेतागण पालन करेंगे, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्द्वारा वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, को महायोजना में विनिर्दिष्ट आवासीय भू–उपयोग के निमित्त फ्री–होल्ड

विक्रेता

क्रेतागण के हस्ताक्षर

D K Agarwal
for self and attorney
of Rajesh Agarwal

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ०प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

01/11/18

01/11/18

सत्यमेव जयते

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

156416

-1 NOV 2008

इलाहाबाद DSFT

{7}

घोषित करते हैं और उस पर "क्रेतागण" को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेतागण उसके दायाधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान क्रेतागण करेंगे।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदारों के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

यह फ्रीहोल्ड विलेख माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका सं0 32605/91, सत्य नारायण कपूर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित निर्णय दिनांक – 15.10.1997 ई0 के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1567–69/98 में पारित होने अन्तिम निर्णय के अधीन निष्पादित की जा रही है।

विक्रेता

क्रेतागण के हस्ताक्षर

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

D.K. Agarwal
for self and attorney
of Rajesh Agarwal

इलाहाबाद

दि० 01/11/08 रुपया

ना०

01/11/08

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

-1 NOV 2008

(8)

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेतागण वहन करेंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द ''विक्रेता'' और ''क्रेतागण'' के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, ''विक्रेता'' में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशिती का तथा ''क्रेता'' में उसके दायाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में ''क्रेता'' ने और ''विक्रेता'' की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित हैः–

नजूल भूखण्ड संख्या–15, थार्नहिल रोड सेटलमेन्ट नं0 (ई) पोर्शन 'ए' नसीबपुर बख्तियारा, इलाहाबाद क्षेत्रफल–6150.35 वर्गमीटर जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित हैः–

विक्रेता

क्रेतागण के हस्ताक्षर

DKAgarwal
for self and attorney of Rajesh Agarwal

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

... इलाहाबाद

दिनांक 01/11/09 ... /कोर्ट फीस रुपया ...

नाम ...

01/11/09

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये | Rs. 100

रु. 100 | ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 466968

-1 NOV 2008

(9)

चौहद्दी–

पूरब – पटरी बादहू सरोजनी नायडू मार्ग

पश्चिम – बंगला गोपाल स्वरूप पाठक

उत्तर – नजूल फ्रीहोल्ड प्लाट संख्या 15बी, थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।

दक्षिण – ए0जी0 ऑफिस कैम्पस

फ्री–होल्ड के लिए 'क्रेता' ने स्वमूल्यांकन की धनराशि रूपये 4,62,000/– (शब्दों में रूपये चार लाख बासठ हजार मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या–बी0डी0–2 दिनांक 30.01.1999 ई0 तथा मांग–पत्र की धनराशि रूपये 10,54,548=49 (शब्दों में रूपये दस लाख चौउवन हजार पाँच सौ अड़तालिस पैसे उन्चास मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या–बी0डी0–2 दिनांक 30.01.1999 ई0 तथा माँग पत्र की धनराशि रूपये 10,54,548=49 (शब्दों में रूपये दस लाख चौउवन हजार पाँच सौ अड़तालिस पैसे उन्चास मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 6 दिनांक 15.10.2008 द्वारा, सम्पूर्ण आकलित निर्धारित मूल्य रूपये 15,16,548=49 (पन्द्रह लाख सोलह हजार पाँच सौ अड़तालिस पैसे उन्चास मात्र) जमा कर दिया है।

विक्रेता

क्रेतागण के हस्ताक्षर

Agarwal for self and attorney of Rajesh Agarwal

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

गाज़ियाबाद

01/11/08

01/11/08

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 466967

-1 NOV 2008

(10)

क्रेतागण के हस्ताक्षर

DSFT J.K...

...Agarwal for self and attorney of Rajesh Agarwal

(1) इन्देश कुमार अग्रवाल
(2) नरेश अग्रवाल
(3) दिनेश कुमार अग्रवाल
पुत्रगण स्व० श्रीनिवास अग्रवाल,
निवासीगण 22, सरोजनी नायडू मार्ग,
परगना व तहसील–सदर, जिला–इलाहाबाद
(4) राजेश अग्रवाल
पुत्र स्व० श्रीनिवास अग्रवाल,
निवासी 15, थार्नहिल रोड,
इलाहाबाद द्वारा मुख्तारआम
श्री दिनेश कुमार अग्रवाल
पुत्र स्व० श्री निवास अग्रवाल

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ०प्र० की ओर से
तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

(सुभाष चन्द्र उत्तम)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

1. साक्षी का हस्ताक्षर S. L. Agarwal
पूरा नाम Sangam Lal Agarwal
पिता का नाम Late Sri ... Lal Agarwal
पता 38/5 Park Road
Alld

1. साक्षी का हस्ताक्षर
नाम व पद नाम ...
...

2. साक्षी का हस्ताक्षर (MK) ...
पूरा नाम M.K. Chaturvedi
पिता का नाम Late K.S. Chaturvedi
पता 23/2 Tagore Marg

2. साक्षी का हस्ताक्षर
नाम व पद नाम ... (नजूल)
...

[illegible] Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

दिनांक 01/11/08 [illegible] इलाहाबाद

[illegible] कोर्ट फीस रुपया 100

नाम [illegible]

[illegible]

01/11/08

आज । : **17/11/2008** को

बही ग **1** जिल्द मे **6158**

पृष्ट ग **201** से **226** पर क्रमांक **5130**

रजिस्ट्री किया गया ।

(बी0के0 शाही)

उप निबन्धक (प्रथम)

इलाहाबाद

17/11/2008

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 को धारा 32 ए के अन्तर्गत

(Finger Prints) अंगुलियो के चिन्ह क्रेता एवं विक्रेता

बाये हाथ इन्द्रेश कुमार कुमावत दाये हाथ

	कनिष्ठ	
	अनामिका	
	मध्यमा	
	तर्जनी	
	अंगूठा	

बाये हाथ नरेश कुमावत दाये हाथ

	कनिष्ठ	
	अनामिका	
	मध्यमा	
	तर्जनी	
	अंगूठा	

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 को धारा 32 ए के अन्तर्गत

(Finger Prints) अंगुलियो के चिन्ह केता एवं विकेता

बाये हाथ दिनेश कुमार अग्रवाल दाये हाथ

	कनिष्ठ	
	अनामिका	
	मध्यमा	
	तर्जनी	
	अंगूठा	

बाये हाथ

दाये हाथ

	कनिष्ठ	
	अनामिका	
	मध्यमा	
	तर्जनी	
	अंगूठा	

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश